न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 02/2021

1. लिलाधर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी डुगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

बनाम

– प्रार्थी

1. कमला पत्नी गोरधन जाति ब्राह्मण निवासी डुगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. ग्राम पंचायत डुगराना तहसील भादरा
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय दिनांकः–

प्रार्थी लिलाधर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी डुंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत निगरानी निम्न प्रकार से है– प्रार्थी ने मातहत अदालत में विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 अपील प्रस्तुत की है, कि अपीलान्ट गांव डुगराना का रहने वाला है। वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मकान सं. 215, सिरसा हरियाणा में रहता है तथा प्रार्थी के पिता स्व. मोहनलाल के पांच पुत्र व तीन पुत्रियां है। प्रार्थी ने सन् 1991–1992 में हरमल मुड़ से गांव डुगराना में स्थित एक कच्ची निर्मित दुकान साईज 12 गुणा 24 फुट किमतन ग्यारह हजार रूपये में खरीद की थी। प्रार्थी ने अपने पिता के नाम जरिये इकरारनामा बैचान करवाना लिखा दिया था और कब्जा प्रार्थी ने ले लिया था और कच्ची दुकान तोड़कर पक्की दुकान निर्मित कर ली थी। सारा खर्चा प्रार्थी ने ही लगाया था। प्रार्थी की आमदनी से खरीद की थी तथा प्रार्थी ने ही पक्की तामिर करवायी थी। पूरे परिवार को इस बात का ज्ञान था, किन्तु प्रार्थी द्वारा दुकान निर्मित करने के बाद प्रार्थी के भाई गोरधन ने 1000/– रूपये प्रतिमाह में किराया पर ले ली थी, जो लगातार दिनांक 31.12.2013 तक किराया अपीलान्ट को देता रहा है। इसी दौरान दिनांक 26.02.2014 को अपीलान्ट के पिता मोहनलाल का देहान्त हो गया। अपीलान्ट कभी–कभी ही डुंगराना आता–जाता था। ज्यादा सिरसा में अपने परिवार के साथ आबाद था। दिनांक 31.12.2014 अपने भाई गोरधन से दुकान का किराया की मांग की तो गोरधन व कमला ने किराया देने से इन्कार हो गये तथा कहा कि वो दुकान हमारी है एंव पटटा भी बना लिया है। तब प्रार्थी ने पट्टा की नकल प्राप्त की तब ज्ञान हुआ कि मु. कमला ने एक आवेदन ग्राम पंचायत में पेश किया कि वह 25 वर्षो से निवास पुश्तैनी भूखण्ड में मकान बनाकर रहती है। स्वामित्व जताते हुऐ पट्टा बनाया है जबकि कमला का कभी स्वामित्व नही रहा है, उसके पति गोरधन ने प्रार्थी से एक हजार रूपया प्रतिमाह किराया पर ली थी, गलत पट्टा बनाया है। एक पक्षीय बिना किसी की आपति सुने ही गुप–चुप तरीके से पट्टा बनाया है। विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थी ने यह भी अपील में दर्ज किया कि तथाकथित बंटवारानामा पेश किया है, जिस पर परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर नही है, ना बंटवारा बाई मिटस बाउन्ड के लिखा गया है । विभाजित सम्पति समानुपाती व बराबर नहीं है नां रजिस्टर्ड है। फर्जकारी कर तैयार किया गया बंटवारा है, जिसका सहारा लेकर पट्टा बनाया

18/1/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पा है, जो खारिज योग्य है। पट्टा आवासीय बनाया है जबकि भूमि वाणिज्यिक है, जो किराया पर गोरधन ने लेकर किराना स्टोर कर रहा है। पट्टा खारिज योग्य है। अपील प्रस्तुत की रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी ने हाजिर आकर अपील को नकारते हुए जवाब पेश किया और प्रार्थी सिरसा में रहने को स्वीकार किया तथा प्रार्थी की अपील में दर्ज तथ्यों को इन्कार किया तथा जवाब दिया कि उसके पति को बंटवारा में प्राप्त है, उसी का कब्जा है, इसलिए पटटा सही बनाया गया है, आदि जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात दिनांक 10.10.2017 को अपील खारिज कर दी गयी, जो निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है।

(क) यह कि मातहत ने बिना सुनवाई बिना सूचना बिना कोई तथ्यों पर एक पक्षीय निगरानीकृत आदेश पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

(ख) यह कि मातहत अदालत ने बिना दस्तावेज का अवलोकन किये निर्णय पारित किया है तथा निर्णय करते वक्त विवेक का प्रयोग ही नहीं किया।

(ग) यह कि मातहत अदालत अदालत ने कमला पत्नी गोरधन ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वह 25 वर्षो से काबिज है, जबकि संरपच ने अपने आदेश कहा कि 25 वर्षो से काबिज है, जो साबित करता है कि ग्राम पंचायत की मन्शा को जाहिर करता है कि येन–केन पटटा जारी करना था, जो अपास्त योग्य है।

(घ) यह कि मातहत अदालत ने इस बिन्दु पर ध्यान नही दिया कि जब कमला को पुराने कब्जा के सबूत में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना था तो उसने वोटर लिस्ट सन् 1988 की प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थी लिलाधर का नाम भी था यदि वोटर लिस्ट को आधार माना जाता है तो प्रार्थी को नोटिस व्यक्तिगत दिया जाना आवश्यक था। ऐसा न करके ग्राम पंचायत ने भारी भूल की है, जिसको मातहत अदालत ने कोई विवेचन नही किया निगरानी इसी आधार पर स्वीकार योग्य है।

(ङ) यह कि अप्रार्थी सं. 2 ने सबूत के तौर पर एक तथाकथित बंटवारानामा पेश किया जिसमें परिवार के किसी भाई व बहिनो के हस्ताक्षर नही है, किसके मध्य बंटवारा किया गया, किसी पक्षकारान के सहमति के हस्ताक्षर नही है। बंटवारा की क्यों नोबत आई कारण दर्ज नही है। तथाकथित फर्जी तौर पर साजिशाना तौर पर किया गया तथा बंटवारानामा जो अपने आप में ही स्पष्ट है कि गोरधन द्वारा अपने पक्ष में लिखवाने की कुचेष्टा मात्र है। कोई बंटवारानामा की परिभाषा में ही नही आता है। उसे साक्ष्य के रूप में कब्जा दर्शाने की चेष्टा की गयी मातहत अदालत ने इस बिन्दु पर कतई ध्यान नही दिया कि पटटा जब पुराना कब्जा के आधार पर बनाया जा रहा है तो 2011 में तो मोहनलाल के नाम से था तो कमला का कब्जा पुराना कैसे हुआ। दो वर्षो में ही पुराना कब्जा कैसे माना गया इस तथ्य पर मातहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया क्योंकि पुराना कब्जा किसी सुरत में नहीं था, जबकि वास्तविक मालिक तो प्रार्थी लिलाधर ही था, ऐसी सुरत में पटटा बनाया जाना ही विधि विरूद्ध था।

(च) यह कि मातहत अदालत में अपीलकृत पट्टा किस प्रकार किन दस्तावेजों के आधार पर पुराना कब्जा माना कही भी व्याख्या नही की थीं इस बिन्दु पर गौर करना चाहिए था जो मातहत अदालत द्वारा ना तो निर्णय में लिखा, ना अवलोकन किया। ऐसी सूरत में निगरानी स्वीकार योग्य है।

(छ) यह कि पटटा राजनैतिक फायदा उठाने के लिए जारी किया गया, था । जो तथाकथित बंटवारानामा में ही सरपंच द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। जब सरपंच को पूरे प्रकरण का ध्यान था कि लिलाधर की दुकान है, उसकी खरीद की हुई है, तो सरंपच द्वारा दो

18/01/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कथित बंटवारानामा है, दोनो पर ही क्यों हस्ताक्षर किये, इस बिन्दु पर कतई ध्यान नही दिया निगरानी स्वीकार योग्य है ।

(झ) यह कि प्रार्थी का पिता मोहनलाल वृद्ध व्यक्ति था तथा गोरधन बड़ा पुत्र होने के कारण पिता को बहला फुसलाकर उसकी समस्त सम्पति हडपना चाहता था। पिता की भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर भी सारी भूमि को रहन रखकर सारा कर्जा गोरधन ने उठा लिया था इसी प्रकार फर्जी बंटवारा दर्शाकर प्रार्थी की दुकान हड़प करने की नियत से फर्जी पट्टा बनाया गया है, जिसको मातहत अदालत द्वारा व्यवहारिक बिन्दु पर गौर नही किया जो निगरानी स्वीकार योग्य है।

(ण) यह कि ग्राम पंचायत डुगराना द्वारा ना तो कभी कोई आपति नोटिस जारी किये ना कभी किसी को सुनवाई का अवसर दिया गया सारी कार्यवाही पंचायत परिसर व सरंपच के घर बैठकर तैयार की गयी, जो पत्रावली से ही स्पष्ट है।

(ट) यह कि ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टा बनाया जाना दर्शाया गया है जबकि 11 गुणा 22 फुट में आवासीय ग्रामीण क्षेत्र में नही हो सकती है प्रार्थी ने अपनी अपील में बताया था मौका रिर्पोट दिनांक 25.1.2017 दर्शायी है जिसमें पट्टा के विपरित वर्गफुट पूर्व – पश्चिम 22 फुट तथा उतर–दक्षिण 11 फुट दर्शायी है तथा मौका पर कमला की दुकान दर्शायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि आवासीय न होकर वाणिज्यक है जिसका निरक्षण रिर्पोट से स्पष्ट है। वाणिज्यक पट्टा बनाने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है इसलिए इस बिन्दु पर भी मातहत अदालत ने ध्यान नही दिया ना ही कोई विवेचन किया निगरानी स्वीकार योग्य है । (ढ) यह कि पट्टा पंचायती राज नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है, तथा 157 (1) में स्पष्ट है कि पचास वर्ष पूर्व का कब्जा हो तभी बनाया जा सकता है, वो भी केवल आवासीय पट्टा ही बनाया जा सकता है दुकान वाणिज्यक का नही बनाया जा सकता है, इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नही दिया गया है।

(ठ) यह कि पट्टा पचायती राज नियम 157 (1) के तहत किया गया है जिसमें स्पष्ट है कि 50 वर्ष पुराना कब्जा का ही नियमन किया जा सकता है। किन्तु दुकान का पट्टा बनाया है जो जारी नही किया जा सकता है इस कानूनी बिन्दु पर मातहत अदालत ने ध्यान नही दिया है।

(ढ) यह कि मातहत अदालत द्वारा इस बिन्दु पर भी ध्यान नही दिया कि अपीलकृत पट्टा आदेश पारित करते वक्त पुराना कब्जा कौनसे दस्तावेज व सबूत साक्ष्य को आधार माना है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में किसी भी साक्ष्य सबूत व दस्तावेज का कब्जे बाबत जिक्र नही किया ना कही लिखा। मात्र एक 1988 की वोटर लिस्ट दस्तावेज के रूप में लगायी है जिससे सयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के नाम है। वह दुसरे पुश्तैनी मकान की वोटर लिस्ट है जो फर्जकारी की जाकर पट्टा बनाने की पत्रावली में असल दस्तावेज के रूप में ली गयी है जो विधि विरूद्व है मातहत अदालत ने इन बिन्दुओं पर भी ध्यान नही दिया है।

(च) यह कि मातहत अदालत निरीक्षण कमेटी को केवल मौका निरीक्षण हेतु ही भेजा गया था किन्तु उसने अपनी रिर्पोट में तो पट्टा यथावत रखने की अनुशाषा ही कर दी जिससे स्पष्ट है कि मातहत अदालत भी अप्रार्थी कमला के प्रभाव में की थी। तथा रिर्पोट से स्पष्ट है ।

18/1/2023

(छ) यह कि निगरानी के अन्य बिन्दु वरवक्त बहस न्यायालय की इजाजत से निवेदन किए जावेगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. यह कि निगरानीकृत आदेश दिनांक 10.10.2017 का है जो निर्णय पूर्व में लिखकर पत्रावली को पेन्डीग में रख दिया गया। ना प्रार्थी के वकील को सूचना दी गयी ना वकील साहब की उपस्थिति में सुनाया गया। अपितु निर्णय लिखकर विकास अधिकारी द्वारा पत्रावली को अपनी अलमारी में रखकर पेन्डीग कर दी गयी। वर्तमान में सूचना होने के बाद निर्णय पर तारीख दिनांक 10.10.2017 लगाकर वकील साहब को किसी ने सूचना दी कि आपकी पत्रावली में निर्णय कर दिया गया है। वकील साहब ने अपीलान्ट को दिनांक 21.01.2021 को सूचना दी गयी। वह भादरा आकर निर्णय की नकल ले जावे व आगे कार्यवाही करे। प्रार्थी दिनांक 21.10.2021 को भादरा पचांयत समिति में जाकर नकल का आवेदन किया तथा नकल के लिए चक्कर लगवाते रहे दिनांक 16.02.2021 को प्रार्थी को नकल दी गयी तब पता चला कि पिछे की तारीख मे निर्णय लिखा गया है। अपीलान्ट सिरसा में प्राईवेट सर्विस करता है कोरोना काल के बाद प्रार्थी भादरा नही आया ना किसी ने सूचना दी। सूचना मिलते ही नकल लेकर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। तथा दफा 5, लिमिटेशन की दरख्वास्त मय हल्फनामा पेश कर रहा है। तथा निगरानी ज्ञान से अन्दर मियाद है।

4. यह कि निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व समुचित कोर्ट फीस पर पेश है ।

अतःनिगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि मातहत अदालत समिति भादरा से मि. न. 25 दिनांक 10.09.2015 तलब किया जाकर निर्णय दिनांक 10.10.2017 खारीज फरमाया जावे। ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 05.02.2013 निरस्त कर पटटा दिनांक 13.02.2013 निरस्त किया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–02 को बार–बार आवाज लगाई गई। अप्रार्थी संख्या–02 न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये इसलिए अप्रार्थी संख्या–02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी एंव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मकान नं0 215, सिरसा हरियाण में निवास करता है। अपीलाधीन भूखण्ड प्रार्थी द्वारा गांव डुंगराना में स्थित कच्ची निर्मित दुकान साईज 12 X 24 खरीदशुदा है। खरीदशुदा कच्ची निर्मित दुकान को प्रार्थी द्वारा ही पक्का बनाया गया है एंव अपने भाई गोरधन को किराये पर दी गई। लेकिन कुछ समय बाद गोरधन ने अपनी पत्नी कमला के नाम से पट्टा बनवा लिया। जिस पर प्रार्थी द्वारा अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापन स्थाई समिति पंचायत समिति, भादरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, कि अपीलाधीन भूखण्ड का दिनांक 13.02.2013 को जारी पट्टा अवैध है क्योंकि यह भूखण्ड प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा है। लेकिन अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापन स्थाई समिति पंचायत समिति, भादरा द्वारा अपील खारिज कर पट्टा को यथावत रखा गया। उक्त भूखण्ड का अवासीय पट्टा गलत है क्योंकि वाणिज्यिक उपयोग हेतु खरीदशुदा भूमि का अवासीय पट्टा कैसे बनाया जा सकता है। अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापन स्थाई समिति पंचायत समिति, भादरा समक्ष तथ्य सामनें आया कि उक्त भूखण्ड बंटवारा में प्राप्त हुई है। प्रार्थी ने निगरानी इसलिए प्रस्तुत की, कि पंचायत को पट्टा बनाने का अधिकार नहीं था। राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के अनुसार 50 वर्ष के कब्जे के आधार पर आवासीय पट्टा जारी किया जा सकता है, वाणिज्यिक नहीं है। पट्टा में वर्ष 1988 की वोटर लिस्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत वोटर लिस्ट संयुक्त परिवार की है, तो परिवार को विभाजित कैसे माना गया। भूखण्ड का मौका निरीक्षण कर जो रिपोर्ट तैयार की

18/01/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

गई है, वह निर्देशात्मक है, जो कि अनुचित है, मिलिभगत से बनी हुई है। अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचाराधीन निगरानी 2 वर्ष 6 माह बाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत निगरानी के साथ म्याद प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका जवाब प्रस्तुत किया गया। म्याद का कोई तार्किक जवाब नहीं दिया गया। म्याद के आधार पर पहले सुना जाना है। विवादित भूखण्ड का बंटवारा पारिवारिक एंव नोटेरी द्वारा प्रमाणित है। आपसी अनबन होने के कारण निगरानी प्रस्तुत की गई है। भूखण्ड का पट्टा सहमति के आधार पर बनाता है। यदि भूखण्ड बंटवारे में निगरानीकर्ता को मिलता तो वह भी पट्टा बनवा लेता। ग्रामीण क्षेत्र में वाणिज्यिक पट्टा अलग से नहीं बनाया जाता है। अतः यह निगरानी आपसी रंजिशवश प्रस्तुत की गई है।

इस पर अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः दोहराया कि निगरानी किसी भी वक्त प्रस्तुत हो सकती है। अपील में भी की जा सकती है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत की गई है। निगरानी के विरूद्ध एक ही बिन्दु म्याद पर काउन्टर है। म्याद प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापन स्थाई समिति पंचायत समिति, भादरा द्वारा पिछे तारीख में फैसला समिति द्वारा किया गया है। ग्रामीण हो या शहरी सभी जगह वाणिज्यिक प्रयोग होता ही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि निगरानीकार्ता का इरादा गलत है। अगर म्याद का बिंदु नहीं था तो धारा 5 म्याद अधिनियम क्यो लगाई गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के तलबशुदा रिकार्ड पत्रावली को अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। निगरानीकर्ता ने कथन किया है कि उनके द्वारा यह भूखंड खरीद कर अपने पिता के नाम बेचान इकरारनामा करवा दिया था। जबकि पत्रावली में इस प्रकार का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह जाहिर हो कि यह भूखंड निगरानीकर्ता द्वारा खरीद किया गया है और तत्पश्चात पिता के नाम इकरारनामा बनवाया गया है। जिससे उक्त भूखंड बाबत् प्रार्थी का हक अधिकार सिद्ध नहीं होता है। निगरानी कर्ता के पिता को अपनी संपत्ति को बंटवारे के रूप में अपने जायदां पुत्रों/पुत्रियों को इच्छानुसार संपत्ति देने का पूर्ण अधिकार है। पट्टे हेतू पत्रावली में 1988 की वोटर लिस्ट संलग्न है जो कि सिद्ध करती है कि निगरानीकर्ता के पिता सपरिवार पुराने समय से यही रहते आए हैं। निगरानीकर्ता द्वारा अपने भाई को किराए पर दुकान देने संबंधी कोई किरायानामा/दस्तावेज भी इस पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे यह तय किया जा सके, कि उक्त भूखंड का मालिकाना हक होने के नाते निगरानीकर्ता द्वारा किराया लिया गया है। पंचायत द्वारा आपत्ति आंमत्रित कर ही पट्टा जारी किया गया है। पारिवारिक बंटवारा 2005 का है, जिस पर कभी कोई आपत्ति की गई हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है। जबकि पट्टा उसके बाद बनवाया गया है। पट्टे की पत्रावली भी पूर्ण रूप से संधारित है। पट्टे हेतू प्रकिया पूर्ण रूप से अपनाई गई है। निगरानीकर्ता यह सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है कि निगरानी दो वर्ष छः माह की देरी से प्रस्तुत करने के क्या कारण रहे। प्रस्तुत की गई दृष्टांत RBJ (26) 2019 State of Rajasthan Vs. Surajnarayan, DNG Page No. 1609, Nihal khan & ors. Vs. State of Rajsthan का भी अध्ययन–मनन किया गया। उक्त सभी आधारों पर इस न्यायालय का यह मानना है कि प्रस्तुत की गई निगरानी म्याद के बिंदू के साथ–साथ गुणावगुण के आधार पर भी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जाती है। और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का

19/01/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तलबशुदा रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)